महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

पत्रांक–1209/कु0का0/2023 दिनांक– 03/03/2023

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
आजमगढ़।

2. जिलाधिकारी
मऊ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि नवीन महाविद्यालय (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) की अनापत्ति/सम्बद्धता के लम्बित प्रस्तावों के निस्तारण हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 512/सत्तर–2–2023–16(11)/2017, दिनांकः 28.02.2023 द्वारा समय सारिणी निर्धारित की गयी है **जिसके अन्तर्गत 17 मार्च 2023 तक ऑनलाइन भूमि सत्यापन आख्या शासन के पोर्टल पर अपलोड की जानी है।** इस सम्बन्ध में सूच्य है कि भूमि सत्यापन आख्या उ0प्र0 शासन के पोर्टल "https://henoc.upsdc.gov.in/" पर आनॅलाइन अपलोड किये जाने हेतु निम्नलिखित संस्थाओं के प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा आनलाइन पूर्व में ही अग्रसारित किये गये है तथा विभिन्न पत्रों के माध्यम से भी अनुरोध किया जा चुका है किन्तु नवीन महाविद्यालयों की अद्यतन ऑन लाइन भूमि सत्यापन आख्या अपलोड नहीं की गयी है।

क.सं.	जनपद	महाविद्यालय का नाम	ऑनलाइन रजि.नं.
1	आजमगढ़	श्यामबिहारी लालचन्द महाविद्यालय, आजमपुर, आजमगढ़।	0746104740001
2		राधिका डिगी कालेज, लुदुही, बगली पिजड़ा, मऊ।	0746104540001
3	मऊ	श्री दुर्गा जी लॉ कालेज, क्यामपुर, मुहम्मदाबाद, गोहना, मऊ।	0746104820001
4		भोला भगौती डिग्री कालेज, द्वारिकापुर, मुहम्मदाबाद, गोहना, मऊ।	0746104490001
5		पं0 कन्हैया लाल मिश्र विधि महाविद्यालय, डुमारी, मर्यादपुर, मऊ।	0746104750001
6		डी0एन0 महाविद्यालय, मुजार बुजुर्ग, भटमिला, मऊ	0746104600001

अतः पुनः अनुरोध है कि संदर्भित प्रस्तावों के भूमि सत्यापन आख्या दिनांक 17 मार्च 2023 तक प्रत्येक दशा में उ0प्र0 शासन के पोर्टल "https://henoc.upsdc.gov.in/" पर ऑनलाइन अपलोड करने एवं विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि शासन के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में प्रकरण निस्तारित किये जा सकें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासन स्तर से भी सम्बन्धित जिलाधिकारी को निर्देशित करने की कृपा करें।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. प्रबन्धक सम्बन्धित प्रस्तावित महाविद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर निर्धारित अविधि में भूमि सत्यापन आख्या ऑनलाइन अपलोड कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में निर्धारित अवधि के उपरान्त लम्बित आवेदन पत्र पोर्टल में स्वतः विलोपित कर दिये जायेगें जिसके लिए सम्बन्धित संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
5. गार्ड फाईल।

कुलसचिव